लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स गणपति फ्यूल, प्रो0–श्री प्रेम चंद सिंह, पिता– श्री राधेश्याम सिह, पता–ईस्ट पाली, डिहरी–ऑन–सोन, जिला–रोहतास द्वारा सोन–04 बालू घाट मौजा–अमियावर, ब्लॉक–नासरीगंज, जिला–रोहतास के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 15.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय नासरीगंज, जिला–रोहतास में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2258/2023, dated 31.01.2023 के आलोक में श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, रोहतास (जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 15.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय नासरीगंज, जिला–रोहतास में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 11.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देष्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (1000 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining

Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/ मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, ग्राम–अमियावर, जिला–रोहतास।	उनके द्वारा बताया गया कि खनन होने से पानी का समस्या उत्पन्न होती है। धूल–कण आसपास के खेत में चला जाता है। इस कारण किसान को काफी नुकसान होता है। इस नुकसान के भरपाई हेतु किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि रैयत जमीन पर खेती में नुकसान होने पर पट्टा धारक से मुआवजा दिलाया जाता है । संवेदक द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्र में भी लोगों द्वारा अतिकिमण कर खेती की जाती है। और मुआवजा की मांग की जाती है जो गलत है। खनन करने के लिए सरकार हमें नाप कर जगह देती है। उसमें खेती नहीं होनी चाहिए।
2.	श्री हेमंत प्रसाद, अमियावर, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन जब शुरू किया जायेगा तो स्थानीय ग्रामीण को क्या लाभ मिलेगा । इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। आस–पास के गाँव में वृक्षारोपण किया जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी की राशि से गाँव का विकास किया जायेगा।

डी.सी.एल.आर, बिकमगंज, रोहतास द्वारा बताया गया कि घाट के पास स्कूल है। बच्चों के पढ़ाई के समय वाहनों द्वारा हॉर्न का उपयोग नहीं किया जाय। उनके द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार प्रदूषण नियंत्रण हेतु जो उपाय बताये है। उनका शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सजग एवं नैतिक जिम्मेदारी के साथ सरकार का सहयोग करना है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों का तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा। सोन नदी भी रोहतास जिला के आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह राज्य के लिए अक्षय निधि है, तथा निर्माण कार्य हेतु महत्वपूर्ण इकाई है।

5–6 फीट बड़ा पेड़ लगाया जाय, ताकि 5 साल में बड़ा हो जाय। छायादार एवं फलदार पेड़ बरगद, पीपल, आम–जामुन, नीम का पेड़ लगाये जायें। उन्होंने कम–से–कम 2000 पेड़ लगाने का सुझाव दिये, जिसमें कम–से–कम 1000 आम का पेड़ लगाने का भी सुझाव दिए। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी किये जाने का सुझाव दिया गया।

उनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, जिससे जनहित में विकासात्मक कार्य होता है। अतः जनता को इस कार्य में अपेक्षित सहयोग करना चाहिए। स्थानीय लोगों ने खनन कार्य में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। संवेदक का प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अपनाकर प्रदूषण को कम–से–कम करने हेतु सुझाव दिया गया। संवेदक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपायों का अनुपालन नहीं करने के स्थिति में ग्रामीण जनता अचंलाधिकारी, नासरीगंज को भी शिकायत कर सकती हैं। उनके द्वारा भी नियमानुकूल यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

7/7/23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर समाहर्त्ता–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

मेसर्स गणपति फ्यूल, प्रो०-श्री प्रेम चंद सिंह, पिता-श्री राधेश्याम सिंह द्वारा रोहतास सोन -04 बालू घाट, मौजा-अमियावर, अंचल-नासरीगंज, जिला-रोहतास में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान- अंचल कार्यालय नासरीगंज, दिनांक: 15.06.2023 समय-03:00 A.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	[illegible]	ADM Rohtas	15/6/23
2.	आशीष कुमार [illegible]	[illegible]	[illegible] 15-6-23
3.	अनिल कुमार	[illegible] नासरीगंज	15/06/23
4.	[illegible]	M.I Rohtas	15/06/23
5.	[illegible]	Sr manager Rian Enviro Pvt Ltd.	15/6/23
6.	[illegible]	Manager Rian Enviro Pvt Ltd	15/6/23
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible] 15.6.23
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	Ganpati Fuels [illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible] 15/6/23
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible] 15/06/23
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible] 15/06/23

19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35.	[illegible]		
36.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

41.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]